अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
27.10.2014	**न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा** **पुनरीक्षण अपील वाद संख्याः 285 / 2014** योगानन्द कुमार योगेश एवं अन्य –– अपीलार्थीगण वनाम उमेश प्रसाद यादव एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट **–:: आदेश ::–** यह पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, सुपौल के दिनांक 23.08.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा लाया गया है, जिसमें मौजा कुकुरधरी, थाना नं0–279 के विभिन्न खाता–खेसरा के अनुसार कुल 21 बीघा, 13 धूर में विवादग्रस्त भूमि के जमाबंदी रद्द करने के कार्रवाई उप–समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा की गयी है, जिसकी सम्पुष्टि समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा भी किया गया है। विवादग्रस्त भूमि श्री अमरेन्द्र कुमार बनर्जी के नाम कुल 31 बीघा जमीन जमाबंदी संख्या–46 / 6116 द्वारा चलता था, जिसे बरकरार रखा गया है एवं पाया गया है कि अपीलार्थी के पिता द्वारा गलत ढ़ंग से जमाबंदी संख्या–218 / 306 कायम करवाया गया है, जिसे समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा रद्द किया गया है, इस भूमि के अतिरिक्त भी 09 बीघा, 19 कट्ठा, 07 धूर भूमि अवशेष है, जिसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है तथा इसके संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज से प्रतिवेदन अप्राप्त है। बिहार बोर्ड प्रक्रीर्ण नियमावली, 1958 के नियम 356 एवं 358 के प्रावधानों के अनुसार वैसे भूमि का सरकारी अधिग्रहण आदेश समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा किया गया है, यह उचित प्रतीत इसलिए भी होता है कि दाखिल–खारिज वाद संख्या–218 / 1998–99 में गलत ढ़ंग से बँटवारा चार्ट के आधार पर तैयार कराया गया है तथा अपीलार्थी के परिवाद एवं मूल जमाबंदी रैयत श्री अमरेन्द्र कुमार बनर्जी के बीच कोई बँटवारा वाद समीचीन नहीं बताया गया क्योंकि दोनों दो जात एवं दो राज्य से आते है। प्रश्नगत भूमि में पाट की खेती की गयी थी, जिसे काट कर ले जाया गया है जबकि धान का फसल अभी लगा हुआ है। समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा यह भी आदेश पारित किया गया है कि बिहार बोर्ड प्रक्रीर्ण नियमावली, 1958 के नियम 358 में प्रावधान के अंतर्गत रैयती / जमाबंदी रैयत के वारिसान से उनके पता पर वादी / अधिवक्ता के माध्यम से सूचना प्रेषण करेगें कि क्यों नहीं प्रश्नगत जमीनसहित कुल 31 बीघा जमीन को राज्यसात करने की कार्रवाई की जाय। उक्त आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गयी है, इसकी सूचना –	

01. जिलाधिकारी, सुपौल इस न्यायालय को अवगत करायेगें तथा अपने निम्न न्यायालय के अभिलेख भी भेजेगें।
02. इसी बीच उक्त भूमि पर लगे खरीफ फसल धान की कटनी वगैरह कराकर स्थानीय अंचलाधिकारी उपज का आधा भाग सरकारी खजाने में जमा करायेगें तथा शेष भाग फसल लगाने वाले को दे देगें, यह मानकर कि यह सरकारी भूमि अधिग्रहित हो गयी है, जब तक कि कोई इस संदर्भ में आदेश नहीं दिया जाता है।

इस संबंध में उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के अलावे सरकारी पक्ष के अधिवक्ता का भी पक्ष सूना गया तथा वाद ससमय दायर करने के संदर्भ में ग्रहित किया गया। की गई कार्रवाई की सूचना दिनांक 21.11.2014 तक उपलब्ध करायी जाय। इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी, सुपौल, अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज एवं अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज को अग्रेतर कार्रवाई हेतु दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा